(367)

II/निग0/रीवा/2018/01872

(475)

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

सुधीर कुमार द्विवेदी तनय मधुसूदन प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम सरैहा, तह0 मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) ....निगरानी कर्ता

बनाम

यज्ञनारायण जायसवाल तनय् वंशपती जायसवाल निवासी ग्राम सरैहा, तह0 मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) ....गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक सर्किल सीतापुर तह0 मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) के द्वारा रा0प्र0क0 19अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं:–

1– यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक सर्किल सीतापुर, तह0 मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) के द्वारा राजस्व प्र.क. 19/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 15.07.15 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने काबिल है।

2– यह कि गैर निगराकार द्वारा आ.ख.क. 449 रकवा 0.352 हे0 स्थित ग्राम सरैहा, प0ह0 सरैहा सर्किल सीतापुर जिला रीवा (म0प्र0) की भूमि का सीमांकन कराए जाने हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक सर्किल सीतापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 26.05.15 को सभी सरहदी कृषकों को सीमांकन करने की सूचना राजस्व निरीक्षक के द्वारा दी गई कि सभी लोग सीमांकन के समय दिनांक 28.05.15 को समय 10:30 बजे उपस्थित रहें लेकिन निगरानीकर्ता को सीमांकन की सूचना पटवारी ने नहीं दी जबकि वह सरहदी कृषक है, गैर निगराकार की भूमि नंबरी 449 का सीमांकन किया जा रहा था निगरानीकर्ता की उससे लगी भूमि नंबरी 435, 436 गैर निगराकार की सीमांकन सुदा भूमि नंबरी 449 की पूर्वी भाग के सरहद पर स्थित है, राजस्व निरीक्षक के द्वारा सीमांकन करने की जो सूचना पटवारी के माध्यम से सभी सरहदी कृषकों को दी गई थी उसमें निगरानीकर्ता के सूचना पत्र में हस्ताक्षर नहीं बने हैं जिससे यह साफ जाहिर है कि सीमांकन की सूचना निगराकार को हल्का पटवारी ने नहीं दी थी

(367)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक 11 / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 1872 जिला–रीवा

सुधीर कुमार द्विवेदी / यज्ञनारायण जायसवाल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिगुणसेन तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, सर्किल सीतापुर, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 19 / अ–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	